

नगर पालिका परिषद डिबाई (बुलन्दशहर)

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत

वांछित सूचनायें:

1- संगठन (विभाग), दायित्व एवं कर्तव्य:-

विभाग का नाम - नगर पालिका परिषद डिबाई (बुलन्दशहर)

दायित्व एवं कर्तव्य - उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत नगर में सफाई व्यवस्था, पथप्रकाश, पेयजल, सड़क, नाला-नाली निर्माण, जन्म-मृत्यु पंजीयन, करारोपण, करो की मद एवं करेत्तर की मद की वसूली आदि। एवं अन्य जन सुविधायें उपलब्ध कराना।

2- अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य :-

नगर पालिका परिषद में कार्यों के निर्वहन व सम्पादन हेतु अधिशासी अधिकारी, अवर अभियन्ता (सिविल) अवर अभियन्ता (जल) कर अधीक्षक, कर एवं राजस्व निरीक्षक, सफाई एवं खादय निरीक्षक, लेखाकार प्रकाश निरीक्षण, लिपिक सफाई नायक सफाई कर्मचारी पम्प अरेण्डेट एवं चपरासी आदि स्टाफ की व्यवस्था होती हैं, जो कि उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत एवं अन्य शासनादेशों के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष के मार्ग दर्शन व निर्देशन में कार्य करते हैं।

3- निर्णय लेने की विधि जिसमें परीक्षण व जिम्मेदारी सम्मिलित है :-

उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत किसी भी कार्य को सम्पादित करने के निर्णय का अंतिम अधिकार कार्य की प्रकृति के अनुसार अधिशासी अधिकारी/निर्वाचित अध्यक्ष/नगर पालिका परिषद बोर्ड/जिलाधिकारी महोदय/आयुक्त महोदय में निहित है।

4- क्रिया-कलापों के पूर्ण करने के नियम/आधार :-

इस में उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश, वित्तीय हस्तपुस्तिकायें एवं पालिका उपविधियों के अन्तर्गत क्रिया कलापों को सम्पादित किया जाता है।

5- रुल्स, रेगुलेशन्स, इन्स्ट्रक्शन्स, मेनुअल्स एवं रिकार्ड :-

इस निकाय में उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश, निर्देश व मार्ग दर्शन पत्र एवं पालिका उपविधियाँ तथा कर, करेन्तर, निर्माण, पेयजल, सफाई, पथप्रकाश, जन्म मृत्यु पंजीकरण आदि रिकार्ड उपलब्ध है।

6- नियंत्रणाधीन अभिलेखो की श्रेणी:-

इस निकाय में पालिका के नियन्त्रण में पालिका सम्बन्धित समस्त अभिलेख नियमानुसार सुरक्षित रखे जाते हैं।

7- परामर्श की व्यवस्था:-

इस निकाय में विधिक परामर्श जिला शासकीय अधिवक्ता से प्राप्त किया जाता है।

8- बोर्ड, काउन्सिल, कमेटी :-

(1)	श्री सुनील कुमार	अध्यक्ष
(2)	श्री कमलेश बाल्मीकि	पदेन सदस्य/मा० सांसद
(3)	श्री श्रीभगवान शर्मा	पदेन सदस्य/मा० विधायक
(4)	श्री अनिल कुमार	निर्वाचन सदस्य
(5)	श्री महेश कुमार	निर्वाचन सदस्य
(6)	श्रीमती अनीता देवी	निर्वाचन सदस्य
(7)	श्री कुँवर पाल	निर्वाचन सदस्य
(8)	श्री हरिशंकर	निर्वाचन सदस्य
(9)	श्री जय सिंह	निर्वाचन सदस्य
(10)	श्री मान सिंह	निर्वाचन सदस्य
(11)	श्री सोहन पाल	निर्वाचन सदस्य
(12)	श्री रोशन लाल	निर्वाचन सदस्य
(13)	श्रीमती अनीता देवी	निर्वाचन सदस्य
(14)	श्री विनोद कुमार	निर्वाचन सदस्य
(15)	कुलदीप कुमार	निर्वाचन सदस्य
(16)	श्रीमती रानी गौड़	निर्वाचन सदस्य
(17)	श्रीमती हेमलता	निर्वाचन सदस्य
(18)	श्री पंकज सिंहल	निर्वाचन सदस्य
(19)	श्री मुजाहिद अली	निर्वाचन सदस्य
(20)	श्रीमती शीला देवी	निर्वाचन सदस्य
(21)	श्री इकबाल अहमद	निर्वाचन सदस्य
(22)	श्री रईस अहमद	निर्वाचन सदस्य
(23)	श्री अकील अहमद	निर्वाचन सदस्य
(24)	श्री कयामुददीन	निर्वाचन सदस्य
(25)	श्रीमती जमीला बेगम	निर्वाचन सदस्य
(26)	श्रीमती रूखसाना बेगम	निर्वाचन सदस्य
(27)	श्रीमती चन्द्रवती देवी	निर्वाचन सदस्य
(28)	श्रीमती चंचल अग्रवाल	निर्वाचन सदस्य

(29)	श्री शफीक अहमद	नामित सदस्य
(30)	श्री मिटठन लाल	"
(31)	श्री गणेशी लाल	"
(32)	श्री सुनील कुमार	"
(33)	श्री राकेश शर्मा	"

9- कार्यरत अधिकारियो एवं कर्मचारियो की सूची:-

उपरोक्तानुसार इस पालिका में बोर्ड गठित है।

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1-	अधिशाली अधिकारी	1	-	-
2-	सफाई एवं खादय निरीक्षक	1	-	-
3-	अवर अभियन्ता (सिविल)	1 (अतिरिक्त कार्यभार)	-	-
4-	लेखाकार	1	-	-
5-	प्रकाश निरीक्षक	1	-	-
6-	लिपिक	05	-	-
7-	फिटर	1	-	-
8-	जूनियर लाईनमैन	1	-	-
9-	कर एवं राजस्व मौहरीर	4	-	-
10-	कर संगृहक	01	-	-
11-	पम्प अटैण्डेण्ट	1	-	-
12-	सफाई नायक	1	-	-
13-	सफाई कर्मचारी	45	-	-
14-	संविदा कर्मचारी	28	-	-
15-	देनिक वेतन (पम्प अटैण्डेण्ट)	1	-	-
16-	चपरासी/चौकीदार/बेलदार भिश्ती आदि।	14	-	-

10- अधिकारियो तथा कर्मचारियो द्वारा प्राप्त किये जाने वाली मासिक परिलब्धियों :-

इस निकाय द्वारा कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन आदि परिलब्धियाँ प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाती है।

11-निकाय को अवांछित बजट (वेतन आदि) :-

नगर पालिका परिषद् डिबाई को शासना से राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त होती है, जिसको वेतन एवं विकास कार्यों पर व्यय किया जाता है। तथा बाहर वांछित आयोग से प्राप्त धनराशि को शासन की गार्ड्ड लाइन के अनुसार व्यय किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त निकाय अपने आपके संसाधनों से व्यय हेतु आय प्राप्त करती है।

12- उपादान एवं छूट को उपलब्ध कराये जाने की विधि :-

शून्य

13- रेसिपियेन्स ऑफ कन्सेसंस परमिट्स ऑफ ऑथराइजेशन ग्रांटेड :-

शून्य

14- इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में :-

शून्य

15- नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की सूचना:-

पालिका द्वारा नागरिकों को सूचनायें उपलब्ध करा दी जाती है।

16- पब्लिक इन्फोरमेशन अधिकारी का विवरण (नाम एवं ऑथेरिटी):-

1. अनुज कौशिक, जन सूचना अधिकारी/अधिसासी अधिकारी

17- अन्य सूचना:-

(A) सफाई व्यवस्था


जे०सी०बी०	01
ट्रैक्टर	03
ट्राली	03
हाथ टेली	35
फागिंग मशीन	01 खराब
रिक्शा टेली	03
हाई ड्रोलिक टिपर (श्री व्हीलर)	01

(B) पेयजल

टयूववैल	05
हैण्डपम्प	222
पानी का टैकर	02
ओवर हैड टैंक	02
जेनरेटर	02

(A) <u>पथ प्रकाश</u>	
कुल प्रकाश बिन्दु	454
हाईमास्ट	04
सोडियम	220
बल्ब आदि	230
(A) <u>अन्य</u>	
सामुदायिक केन्द्र	02
छोटा जेनरेटर (कार्यालय)	01
कम्प्यूटर	02
स्लाटर हाउस	01
आजाद पार्क	01

उपरोक्त को अतिरिक्त पालिका की अन्य सम्पत्तियाँ ~~की~~ है। जिसकी जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।


 अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद् डिबाई,
 बुलन्दशहर